

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 16 / 2010
संस्थान दिनांक 12.01.2010

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी
जिला-बड़वानी म0प्र0

..... अभियोगी

वि रु द्ध

चौद खान पिता समदा, आयु 44 वर्ष
निवासी- भवानीखेड़ा, जिला अजमेर,
राजस्थान

..... अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 30.01.2016 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 228 / 2009 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0द0सं0 में दिनांक 12.01.2010 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 22.12.2009 को समय लगभग 12:00 बजे लोक मार्ग ए.बी. रोड़ बरुफाटक में वाहन ट्रेलर आर.जे. 06 जी.ए. 0016 में को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उलावतेपन से चलाकर फरियादी का मानव जीवन संकटापन्न करने के संबंध में धारा 279 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में दिनांक 14.08.2015 को फरियादी भीमसिंह तथा अभियुक्त चौद खा के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को धारा 338 भा.द.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया जा चुका है व तथा यह निर्णय फरियादी भीमसिंह के संबंध में अभियुक्त चौद खा के विरुद्ध धारा 279 भा.द.सं. के संबंध में किया जा रहा है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी राजु ट्रक-ट्राला क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 7714 पर क्लिनर था। दिनांक 21.12.2009 को जबलपुर से उसके ट्रक-ट्राले को चालक भीमसिंह बटले भरकर बाम्बे जा रहा था कि घटना दिनांक 22.12.2009 दिन को वह बरूफाटक गाँव में पहुँचे कि जुलवानिया की ओर से ट्रेलर क्रमांक आर.जे. 06 जी.ए. 0016 के चालक द्वारा अपने ट्रेलर को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उनके ट्रक-ट्राला क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 7714 में गलत दिशा से लाकर टक्कर मार दी जिससे उनके ट्रक-ट्राला घुम गया तथा ओटले से टकराने के बाद चालक भीमसिंह को दोनों पैरों में चोंटें आई तथा सिर में भी चोंटें आई तथा ट्रक-ट्राला क्षतिग्रस्त हो गया। फरियादी राजु द्वारा भीमसिंह को ईलाज हेतु इन्दौर भेजा गया तथा ट्रक-ट्राला मालिक को दुर्घटना की सूचना दी। पुलिस ने फरियादी राजु द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर ट्रेलर क्रमांक आर.जे. 026 जी.ए. 0016 के चालक के विरुद्ध थाने क अपराध क्रमांक 228/2009 अंतर्गत धारा 279, 337 भा0द0सं0 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी राजु की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा बनाया। पुलिस ने वाहन ट्रेलर को घटनास्थल से जप्त कर तथा अभियुक्त के पेश करने पर उक्त वाहन के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर जप्ती पंचनामें बनाये तथा पुलिस ने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये। चिकित्सक द्वारा आहत भीमसिंह के एकसरे में अस्थि भंग होना पाये जाने पर अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 338 भा0द0सं0 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं0प्र0सं0 के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.12.2009 को समय लगभग 12:00 बजे लोक मार्ग ए.बी. रोड़ बरूफाटक में वाहन ट्रेलर आर.जे. 06 जी.ए. 0016 में को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उलावतेपन से चलाकर फरियादी का मानव जीवन संकटापन्न किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में सुनिल गुप्ता (अ.सा.1), भीमसिंह (अ.सा.2) एवं राजेन्द्र (अ.सा.3) के कथन कराये गये हैं जबकि अभियुक्त की ओर उनकी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी भीमसिंह (अ.सा.2) ने अपने कथन में बताया है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है तथा सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता। वह 4 वर्ष पूर्व ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 7714 पर चालक था। उसके ट्रक का क्लिनर राजु था। घटना वाले दिन वह ट्रक लेकर जबलपुर से बाम्बे जा रहा था, दिन के लगभग 11-12 बजे ए.बी. रोड बरूफाटक पर सेंधवा की ओर से आ रहे ट्रेलर के चालक ने उसके वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाकर टक्कर मार दी, जिससे उसे दुर्घटना में चोंट आकर उसके उल्टे पेर में फ्रेक्चर एवं दाहिने पैर में भी चोंट आई थी। अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि थाना ठीकरी की पुलिस ने उससे पूछताछ की थी तो उसने पुलिस को ट्रेलर वाहन का क्रमांक आर.जे. 06 जी.ए. 0016 बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे टक्कर मारने वाला चालक कौन था उसने नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि दुर्घटना में उसके अतिरिक्त अन्य किसी को चोंट नहीं आई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसका एवं अभियुक्त का राजीनामा हो चुका है।

8. सुनिल गुप्ता असा 1 का केवल इतना कथन है कि वर्ष 2010 में दिन के 12 बजे इन्दौर की ओर से आ रहे एक ट्रक ने मंदिर के ओटले पर टक्कर मार दी थी, जिससे पिपल का पेड़ गिर गया था। पुलिस ने प्रदर्शपी 1 का नुकसानी पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी इस सुझाव से इंकार किया कि ट्रेलर क्रमांक आर.जे. 06 जी.ए. 0016 के चालक ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 7714 को टक्कर मार दी थी, लेकिन साक्षी ने यह स्वीकार किया कि दो ट्रकों के मध्य हुई टक्कर से ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच. एफ. 7714 मंदिर के ओटले से टकरा गया। साक्षी ने स्वीकार किया कि ट्रक के चालक से नाम पूछने पर उसने अपना नाम भीमसिंह बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके कथन में उसके मंदिर का नुकसान 5000/- रुपये लिखा है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वाहन क्रमांक आर.जे. 06 जी.ए. 0016 कौन चला रहा था उसे जानकारी नहीं है।

9. राजेन्द्र असा 3 का कथन है कि उसके भाई अरविंदर के ट्रक चालक भीमसिंह को दुर्घटना में चोंटें आने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि पुलिस ने ट्राला क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ 7714 का नुकसानी पंचनामा बनाया था, लेकिन साक्षी का स्पष्ट कथन है कि उसे पता नहीं चला कि उसके भाई के ट्राले की दुर्घटना किस वाहन से हुई थी। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शनी 5 का कथन देने से भी इंकार किया है।

10. उक्त साक्षियों के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षियों का कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया। फरियादी भीमसिंह से अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है और उसके विरुद्ध कोई कथन नहीं किये है तथा परीक्षित किसी अन्य साक्षी ने भी अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त ट्रेलर क्रमांक आर.जे. 06 जी.ए 0016 को लोक मार्ग पर तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानवजीवन संकटापन्न करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये है। यहाँ तक कि किसी भी साक्षी ने अभियुक्त की पहचान घटना दिनांक को उक्त वाहन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में भी नहीं की है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया। अतः अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 279 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त चौद खों के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्त को शंका का लाभ देते हुये धारा 279 भा0द0सं0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेलर क्रमांक आर.जे. 06 जी.ए. 0016 दिनांक 30.12.2009 को उसके पंजीकृत स्वामी कृष्ण गोपालदास पिता छीतरमल जाट, निवासी गुन्डली, जिला अजमेर को सुपुर्दगीनामे पर दिया गया है, उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

